

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर  
ऑडिट भवन झॉसी रोड, ग्वालियर-474002

दिनांक-03/10/2022

परिपत्र

Subject: Permanent absorption of SAS passed officials, awaiting promotion as regular AAO for want of vacancies in their offices, by the deficit offices having vacancies in AAO cadre in same stream-regarding

उपर्युक्त विषयांतर्गत मुख्यालय के पत्र क्रमांक 569-Staff (Appt.-III)/155-2022 दिनांक 08th September 2022 के माध्यम से प्राप्त Circular No. 26- Staff (Appt.-III)/155-2022, के अनुपालन में विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्र संलग्न कर अनुरोध है कि आपके कार्यालय/समूह में पदस्थ पात्र कार्मिकों को संलग्न मांगपत्र परिचालित करें एवं उनसे आवेदन प्राप्त कर इस कार्यालय/अनुभाग को मांगपत्रों में निर्दिष्ट अंतिम तिथि से एक सप्ताह पूर्व अनिवार्यतः उपलब्ध करायें, जिससे इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

साथ ही मुख्यालय के उक्त Circular No. 26- Staff (Appt.-III)/155-2022 (संलग्न) के बिंदु क्रमांक 12 में सन्निहित निम्नलिखित प्रावधान को आपके कार्यालय/समूह में पदस्थ सभी सलेपअ (तदर्थ) के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करें - " There may arise cases where the existing AAO (Ad hoc) would not take advantage of the proposed scheme as they are already enjoying the benefits of higher pay scale and locational advantage. In such cases, in order to ensure that vacancies in the field offices are brought down to a minimum, the existing AAO (Adhoc) may be encouraged to seek deputation to the post of AAO in the offices having vacancies in the cadre in terms of existing provisions of Recruitment Rules to the post of AAOs within next two years failing which appointment to the post of AAO (Adhoc) will be subject to review in terms of para 1 (iv)(e) of Hqrs. circular No. 22-Staff (Appt.)/2015 dated (for Accounts) and para I (ii)(e) of Hqrs. letter No. 257-Staff(Appt)/1 1 1-201 8 dated 21.02.2018 (for Audit) and appropriate action will be initiated accordingly. Any deputation circular would, however, be issued only after the issue of the permanent absorption circular."

संलग्न- उपरोक्तानुसार

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

प्रति,

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय)

मध्यप्रदेश, भोपाल

2. निदेशक/(केन्द्रीय), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, ग्वालियर शाखा।
3. उप महालेखाकार/ए.एम.जी.- I, II, III, IV, V, Admin. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.- I, II, III, IV, V, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11,12,13,14,गोपनीय कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष, रिपोर्ट-1, रिपोर्ट-2, रिपोर्ट-पी.ए.सी.।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को इंटरनेट पर "Administration- Personnel" लिंक के अंतर्गत एवं इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।
7. सूचना पटल।